न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 01 / 2022

1 श्रीमती रामी देवी पुत्री नूनाराम जाति जाट निवासी पैतृक निवासी ग्राम भिलुण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल आबाद ग्राम रैवासी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बिड़दाराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रार्थना पत्र बाबत कन्टेम्ट ऑफ कोर्ट।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश माथुर अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरदयाल सिंह सेवदा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 04/05/23

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.03.2020 की अवमानना पर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 35/2020 बउनवानी श्रीमती रामी देवी बनाम बिड़दाराम में दिनांक 02.03.2020 को विवादित भूमि के सन्दर्भ में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था। इस स्थगन के विरूद्व इस न्यायालय में अप्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत कर मकान हेतु निर्माण की अनुमती चाही थी। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2021 को यह आवेदन खारिज किया गया है। इस स्थगन आदेश के उपरान्त भी अप्रार्थी ने 3 फिट ऊंची दिवार का निर्माण कर लिया है। इस पर यह अवमानना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 35/2020 बउनवानी श्रीमती रामी देवी बनाम बिड़दाराम में दिनांक 02.03.2020 को विवादित भूमि के सन्दर्भ में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था। इस स्थगन के विरूद्व इस न्यायालय में अप्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत कर मकान हेतु निर्माण की अनुमती चाही थी। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2021 को यह आवेदन खारिज किया गया है। इस स्थगन आदेश के उपरान्त भी अप्रार्थी ने 3 फिट ऊंची दिवार का निर्माण कर लिया है। बतौर साक्ष्य पत्रावली पर मौके के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है। अत अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को दण्डित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना नही की गई है। स्थगन जारी होने के उपरान्त निर्माण कार्य नही किया गया है। अवमानना प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में कोई मौका रिपोर्ट पत्रावली पर नही है। अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में स्थगन आदेश के पश्चात अप्रार्थी द्वारा निर्माण किये जाने के तथ्य को सावित करने के लिये प्रार्थी द्वारा केवल मात्र फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है। किसी प्रकार की पटवार हल्का की रिपोर्ट स्थगन से पूर्व अथवा अवमानना के पश्चात की पत्रावली पर नही है। फोटोग्राफस् पर तिथि एवं समय अंकित नही है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा स्थगन के उपरान्त निर्माण कार्य का इस न्यायालय के आदेश की अवमानना किया जाना प्रमाणित नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04/05/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर